झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: संकल्प ::

कृपया पढ़े :–

1. उपायुक्त, लातेहार का पत्रांक– 273/पं., दिनांक 25.10.2011
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक– 8041 दिनांक 16.12.2011 एवं पत्रांक– 720 दिनांक 24.01.2012
3. उपायुक्त, लातेहार का मंतव्य पत्रांक– 54/पं., दिनांक 17.03.2012

श्री जितेन्द्र कुमार मंडल, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरवाडीह, लातेहार के विरूद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक– 273/पं., दिनांक 25.10.2011 द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप प्राप्त हुआ है। श्री मंडल के विरूद्ध मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण– 2010 परिवर्द्धन सूची तैयार करने में लापरवाही बरतने का आरोप है। उनके लापरवाही एवं झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली– 2001 अध्याय– 4 (मतदाता सूची) के निर्देशो का पालन नहीं करने के कारण श्रीमती पूर्णिमा सिंह, पति– श्री कन्हाई सिंह, ग्राम– उकामांड (लेदगाई) का नाम मतदाता सूची में गलत रूप से प्रविष्ट हुआ है।

उक्त आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक– 8041 दिनांक 16.12.2011 द्वारा श्री मंडल से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इसके अनुपालन में श्री मंडल द्वारा पत्रांक– 56 दिनांक 09.01.2012 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री मंडल द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि श्रीमती पूर्णिमा सिंह का नाम सी.एम.सी. लि0 द्वारा श्रीमती सिंह से मिली–भगत कर जोड़ा गया है।

विभागीय पत्रांक– 720 दिनांक 24.01.2012 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से श्री मंडल के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उपायुक्त, लातेहार का मंतव्य पत्रांक– 54/पं., दिनांक 17.03.2012 द्वारा प्राप्त हुआ है। उपायुक्त, लातेहार का मत है कि ''सत्यापित मुद्रित मतदाता सूची साक्ष्य के रूप में प्रखण्ड में उपलब्ध होते हुए भी मेसर्स सी0एम0सी0 लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये मुद्रित मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं समझ कर मिलान नहीं करवाया गया, जो श्री जितेन्द्र कुमार मंडल तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरवाडीह, लातेहार के लापरवाही को द्योतक है।''

श्री जितेन्द्र कुमार मंडल, झा0प्र0से0 के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, लातेहार के मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्री मंडल पर निम्नवत दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

(1) निन्दन;
(2) तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक;

कृ0पृ0उ0....2

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री जितेन्द्र कुमार मंडल, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक– 2ए/आरोप–1–111/2011 का॰–................/राँची, दिनांक –.........सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र की 50 (पचास) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक– 2ए/आरोप–1–111/2011 का॰–11031/राँची, दिनांक –27 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि– राज्यपाल, झारखण्ड का कार्यालय/मुख्यमंत्री, झारखण्ड का कार्यालय/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव कोषांग, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर/उपायुक्त, लातेहार/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/ श्री जितेन्द्र कुमार मंडल, झा0प्र0से0, स्थायी पताः– पिता– स्व0 वासुदेव मंडल, ग्रा0– रघुवाडीह, पो0– सरसा, थाना– पालोजोरी, जिला– देवघर, पिन– 814146/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा–2 एवं 2ए (चारित्री) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/12

सरकार के उप सचिव ।